

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग


क्रमांक प.3(11)नविवि/रीट/2021

जयपुर, दिनांक :- 28 JUN 2021

संशोधित आदेश

इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 24.6.2021 जिसमें राजस्थान रियल एस्टेट अपीलियेन्ट ट्रिब्युनल में पदों को भरने की स्वीकृति जारी की गई थी, में वित्त विभाग की सहमति की आई.डी.संख्या की दिनांक "31.03.2013" के स्थान पर "31.03.2021" संशोधित कर पढ़ा जावे।

राज्यपाल की आज्ञा से,


(राजपाल सिंह यादव)
संयुक्त शासन सचिव-तृतीय

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
3. निजी सचिव, अध्यक्ष, राजस्थान रीयल एस्टेट रेग्युलेटरी ऑथोरिटी, जयपुर।
4. रजिस्ट्रार, राजस्थान रीयल एस्टेट रेग्युलेटरी ऑथोरिटी, जयपुर।
5. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय-3) विभाग की आई.डी संख्या 102000163 दिनांक 31.03.2021 के क्रम में।
6. वरिष्ठ उप शासन सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु ।
7. रक्षित पत्रावली।

११
संयुक्त शासन सचिव-तृतीय